प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371 /2025–26 दिनांक 10/10/ 2025

**विषयः अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में**

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है–

*"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"*

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3– 2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर–13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(प्रताप सिंह बघेल)**
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र० लखनऊ।

पृ०सं०: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371 /2025–26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3, उ०प्र० शासन।
3– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
4– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।

**(प्रताप सिंह बघेल)**
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र० लखनऊ।

# कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखीमपुर–खीरी

पत्रांकः मान्यता/ 10 /2026–27 दिनांक 01/04/ 2026

**प्रबंधक सोनिया इंटरनेशनल स्कूल,**
**वि०क्षे० पलिया,**
**लखीमपुर खीरी**

आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2025 के कम में आपको अवगत कराना है कि कार्यालय के ई०/मान्यता/13274–81/2015–16 के द्वारा नर्सरी से कक्षा–08 तक अंग्रेजी माध्यम की तीन वर्ष के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान आदेश निर्गत किया है। जिसमें शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर (15) **"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"** उपरोक्त के क्रम में विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

अतः शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकःशि0नि0 (मा0)/मान्यता/38274–371/2025–26 दिनांक 10.10.2025 एवं शासनादेश संख्या–575/अरसठ–3– 2018–2041/2023 दिनांक 26 सितम्बर 2023 में निहित व्यवस्थानुसार विद्यालय का संचालन करना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(प्रवीण कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखीमपुर–खीरी